इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 386]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक ९ अक्टूबर २०२० — आश्विन १७, शक १९४२

# विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2020

फा. क्र. 84(05)-वि-निर्वा.-चार-2020-उप चु.-92.—भारत निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है:—

- 1. क्रमांक 100/MP-LA/1/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
- 2. क्रमांक 100/MP-LA/2/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
- 3. क्रमांक 100/MP-LA/3/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
- 4. क्रमांक 100/MP-LA/4/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
- 5. क्रमांक 100/MP-LA/5/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
- 6. क्रमांक 100/MP-LA/6/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
- 7. क्रमांक 100/MP-LA/7/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
- 8. क्रमांक 100/MP-LA/8/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
- 9. क्रमांक 100/MP-LA/9/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
- 10. क्रमांक 100/MP-LA/10/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
- 11. क्रमांक 100/MP-LA/11/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
- 12. क्रमांक 100/MP-LA/12/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
- 13. क्रमांक 100/MP-LA/13/2020(Byé-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
- 14. क्रमांक 100/MP-LA/14/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
- 15. क्रमांक 100/MP-LA/15/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020 16. क्रमांक 100/MP-LA/16/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
- 17. क्रमांक 100/MP-LA/17/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
- 18. क्रमांक 100/MP-LA/18/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020

- 19. क्रमांक 100/MP-LA/19/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
- 20. क्रमांक 100/MP-LA/20/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
- 21. क्रमांक 100/MP-LA/21/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
- 22. क्रमांक 100/MP-LA/22/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
- 23. क्रमांक 100/MP-LA/23/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
- 24. क्रमांक 100/MP-LA/24/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
- 25. क्रमांक 100/MP-LA/25/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
- 26. क्रमांक 100/MP-LA/26/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
- 27. क्रमांक 100/MP-LA/27/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020
- 28. क्रमांक 100/MP-LA/28/2020(Bye-Election) दिनांक 9 अक्टूबर 2020

अरूण कुमार तोमर, सचिव.

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचना

सं: 100/म.प्र.—वि.स./1/2020 (उप—निर्वाचन) :— यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 04—जौरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री बनवारी लाल शर्मा का स्थान, उनके निधन के परिणामस्वरूप उनका स्थान दिनांक 21 दिसम्बर, 2019 को रिक्त हो गया है; और

- यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप–निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की घारा 150 की उपघारा (1) और घाराऐं 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :-
- (अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 04—जौरा विधान समा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार ) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;
- (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-
  - (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः 16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
  - (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः 17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
  - (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः 19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार) (घ) मतदान की तारीखः 03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
  - (घ) मतदान की तारखः 03 नवन्त्र, 2020 (गुरूवार); और करा लिया जाएगाः 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार); और
- (इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 8.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से, हस्ता./-( सुमन कुमार दास ) सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.

et.

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020-17 Asvina, 1942 (Saka)

# **NOTIFICATION**

No. 100/MP-LA/1/2020 (Bye-Election): WHEREAS, the seat of Shri Banwari Lal Sharma in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 04-Journ Assembly Constituency has become vacant on 21st December, 2019 by reason of his death; and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- NOW, THEREFORE, in pursuance of sub section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- (A) Calls upon the said 04-Joura Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12th November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- Appoints, with respect to the said election-

(a)	Last date for filing nominations:	16th October, 2020 (Friday)
(b)	Date for the scrutiny of nominations:	17th October, 2020 (Saturday)
(c)	Last date for the withdrawal of candidatures:	19th October, 2020 (Monday)
(d)	Date of Poll:	03 <sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)
(e)	Date before which the election shall	
	be completed:	12th November, 2020 (Thursday) and;

Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if (C) necessary, be taken on the date specified above, for the election.

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचना

सं: 100/म.प्र.—वि.स./2/2020 (उप—निर्वाचन) :— यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसमा में 05—सुमावली विधानसमा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री एदल सिंह कषाना के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की घारा 150 की उपधारा (1) और घाराएँ 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :--
- (अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 05 सुमावली कियान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार ) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;
- (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:--

(ক)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः	16 अक्टूबर, 2020 (शुकवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः	19 अक्टूबर <sup>,</sup> 2020 (सोमवार)
(ঘ)	मतदान की तारीखः	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ভ.)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न	
	करा लिया जाएगाः	12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

### Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020-17 Asvina, 1942 (Saka)

# NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/2/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of Shri Adal Singh Kansana in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 05-Sumawali Assembly Constituency has become vacant on 10th March, 2020 by reason of his resignation and

- WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused; 2.
- NOW, THEREFORE, in pursuance of sub section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the 3. Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- Calls upon the said 05-Sumawali Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to (A) elect, before the 12th November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- Appoints, with respect to the said election-**(B)**

(a)	Last date for filing nominations	16th October, 2020 (Friday)
(b)	Date for the scrutiny of nominations:	17th October, 2020 (Saturday)
(c)	Last date for the withdrawal of candidatures:	19th October, 2020 (Monday)
(0)	Date of Poll	03 <sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)

- Date of Poll: (d)
- Date before which the election shall (e) 12th November, 2020 (Thursday) and; be completed:
- Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if **(C)** necessary, be taken on the date specified above, for the election.

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचना

सं: 100/म.प्र.-वि.स./3/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 06-मुरैना विधानसमा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री रघुराज सिंह कंशाना के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2 यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराएँ 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :-
- (अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 08—मुरैना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार ) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;
- (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:--

(क)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग)	अम्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(घ)	मतदान की तारीखः	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ध) (द्व)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न	(Av.)

(ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगाः 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वीहन से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

#### Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

#### NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/3/2020 (Bye-Election): WHEREAS, the seat of Shri Raghuraj Singh Kansana in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 06-Morena Assembly Constituency has become vacant on 10<sup>th</sup> March, 2020 by reason of his resignation and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- (A) Calls upon the said 06-Morena Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12<sup>th</sup> November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints, with respect to the said election-

be completed:

(a) Last date for filing nominations: 16 <sup>th</sup> October, 2020 (Frida	ay)
(b) Date for the scrutiny of nominations: 17 <sup>th</sup> October, 2020 (Satur	rday)
(c) Last date for the withdrawal of candidatures: 19th October, 2020 (Mondo	day)
(d) Date of Poll: 03 <sup>rd</sup> November, 2020 (Tu	iesday)
(e) Date before which the election shall	

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

12th November 2020 (Thursday) and:

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचना

सं: 100/म.प्र.—वि.स./4/2020 (उप—निर्वाचन) :— यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 07—दिमनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री गिर्राज डण्डौतिया के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है: और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराऐं 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :--
- (अ) मध्य प्रदेश राज्यं में उक्त 07—दिमनी विधान समा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार ) से पूर्व राज्य की विधान समा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;
- (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-
  - (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः 16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
  - (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः
     17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
     (ग) अम्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः
     19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
  - (घ) मतदान की तारीखः 03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
  - (ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगाः 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार); और
- (इ) 7.00 बजे पूर्वाइन से 6.00 बजे अपराइन तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020-17 Asvina, 1942 (Saka)

#### NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/4/2020 (Bye-Election): WHEREAS, the seat of Shri Girraj Dandotiya in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 07-Dimani Assembly Constituency has become vacant on 10<sup>th</sup> March, 2020 by reason of his resignation and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- (A) Calls upon the said 07-Dimani Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12<sup>th</sup> November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints, with respect to the said election-

(a) Last date for filing nominations: 16<sup>th</sup> October, 2020 (Friday)

(b) Date for the scrutiny of nominations: 17<sup>th</sup> October, 2020 (Saturday)

(c) Last date for the withdrawal of candidatures: 19th October, 2020 (Monday)

(d) Date of Poll: 03<sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)

(c) Date before which the election shall be completed: 12<sup>th</sup> November,2020 (Thursday) and;

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचना

सं: 100/म.प्र.—वि.स./5/2020 (उप—निर्वाचन) :— यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 08—अम्बाह (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री कमलेश जाटन के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है: और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम. 1951 (1951 का 43) की घाराएँ 150, 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :—
- (अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 08-अम्बाह (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार ) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित करें;
- (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:--

11.75		
(ক)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः	16 अक्टू <b>ब</b> र, 2020 <b>(शुक्र</b> वार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः	17 अक्टूबर, 2020 <b>(श</b> निवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(ਬ)	मतदान की तारीखः	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ভ.)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न	*
` '	करा लिया जाएगाः	12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

#### Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020-17 Asvina, 1942 (Saka)

#### **NOTIFICATION**

No. 100/MP-I.A/5/2020 (Bye-Election):- WHEREAS, the seat of Shri Kamlesh Jatav in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 08-Ambah (SC) Assembly Constituency has become vacant on 10<sup>th</sup> March, 2020 by reason of his resignation and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- (A) Calls upon the said 08-Ambah (SC) Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12<sup>th</sup> November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Caste of the States for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints, with respect to the said election-

(a)	Last date for filing nominations:	16th October, 2020 (Friday)
<b>(</b> b)	Date for the scrutiny of nominations:	17th October, 2020 (Saturday)
(c)	Last date for the withdrawal of candidatures:	19th October, 2020 (Monday)
(d)	Date of Poll:	03 <sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)

- (e) Date before which the election shall
  be completed: 12<sup>th</sup> November,2020 (Thursday) and;
- (C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचना

सं: 100 / म.प्र. – वि.स. / 6 / 2020 (उप – निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 12 – मेहगांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री ओ.पी.एस.भदौरिया के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपघारा (1) और घाराऐं 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदृद्वारा :-
- (अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 12—मेहगांव विधान समा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षाः करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार ) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए:
- (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:--
  - (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः
- 16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
  - (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः
- 17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः
- 19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)

(घ) मतदान की तारीखः

- े 03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
- (ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगाः
- 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार); और
- (इ) 7.00 बजे पूर्वीहन से 6.00 बजे अपराहन तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020-17 Asvina, 1942 (Saka)

### NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/6/2020 (Bye-Election): WHEREAS, the seat of Shri O.P.S.Bhadoria in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 12-Mehgaon Assembly Constituency has become vacant on 10<sup>th</sup> March, 2020 by reason of his resignation and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- (A) Calls upon the said 12-Mehgaon Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12<sup>th</sup> November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints, with respect to the said election-

Last date for filing nominations: 16<sup>th</sup> October, 2020 (Friday)

(a) Last date for filing nominations.

(b) Date for the scrutiny of nominations: 17<sup>th</sup> October, 2020 (Saturday)

(b) Date for the scrutiny of nominations.

(c) Last date for the withdrawal of candidatures: 19<sup>th</sup> October, 2020 (Monday)

(d) Date of Poll: 03<sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)

(e) Date before which the election shall be completed: 12<sup>th</sup> November,2020 (Thursday) and;

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

١.

### भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचना

सं.: 100/म.प्र.—वि.स./7/2020 (उप—निर्वाचन) :— यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसमा में 13—गोहद (अ.जा.) विधानसमा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री रणवीर जाटव के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराऐं 150, 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा :--
- (अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 13—गोहद (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार ) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित करें:
- (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग)	अम्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(ঘ)	मतदान की तारीखः	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ड)	वह तारीख जिससे पर्व निर्वाचन सम्पन्न	

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

#### NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/7/2020 (Bye-Election): WHEREAS, the seat of Shri Ranvir Jatav in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 13-Gohad (SC) Assembly Constituency has become vacant on 10<sup>th</sup> March, 2020 by reason of his resignation and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- (A) Calls upon the said 13-Gohad (SC) Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12<sup>th</sup> November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Castes of the States for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints, with respect to the said election-

(e)

Date before which the election shall

(a)	Last date for filing nominations:	16th October, 2020 (Friday)
(b)	Date for the scrutiny of nominations:	17th October, 2020 (Saturday)
(c)	Last date for the withdrawal of candidatures:	19th October, 2020 (Monday)
(d)	Date of Poll:	03 <sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)

- be completed: 12<sup>th</sup> November, 2020 (Thursday) and;

  Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall
- (C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचना

सं: 100 / म.प्र. – वि.स. / 8 / 2020 (उप – निर्वाचन) : यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 15 – ग्वालियर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री प्रयुग्न सिंह तोमर के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की घारा 150 की उपधारा (1) और धाराएँ 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :--
- (अ) मध्ये प्रदेश राज्य में उक्त 15—ग्वालियर विधान समाः निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार ) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;
- (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:--
  - (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः 16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार) (छ) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः 17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार) ;
  - (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः 17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार) (ग) अम्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः 19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार) )
  - (घ) मतदान की तारीखः 03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
  - (ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगाः 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार); और
- (इ) 7.00 बजे पूर्वाहन से 6.00 बजे अपराहन तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020-17 Asvina, 1942 (Saka)

#### NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/8/2020 (Bye-Election): WHEREAS, the seat of Shri Pradhuman Singh Tomar in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 15-Gwalior Assembly Constituency has become vacant on 10<sup>th</sup> March, 2020 by reason of his resignation and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sub Section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- (A) Calls upon the said 15-Gwalior Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect before the 12<sup>th</sup> November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints, with respect to the said election-

a) Last date for filing nominations: 16<sup>th</sup> October, 2020 (Friday)

(b) Date for the scrutiny of nominations: 17<sup>th</sup> October, 2020 (Saturday)

(c) Last date for the withdrawal of candidatures: 19<sup>th</sup> October, 2020 (Monday)

(c) Last date for the withdrawal of candidatures.

13 October, 2020 (Mesday)

(d) Date of Poll:

03<sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)

(e) Date before which the election shall be completed: 12<sup>th</sup> November,2020 (Thursday) and;

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचना

सं: 100/म.प्र.—वि.स./9/2020 (उप—निर्वाचन) :— यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 18—ग्वालियर पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री मुन्नालाल गोयल (मुन्ना मैया) के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

- यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप—निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराऐं 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :-
- (अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 16—ग्वालियर पूर्व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार ) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;
- (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्निलिखित निर्धारित करता है:--
  - (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः 16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
    (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः 17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
    (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः 19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
    (घ) मतदान की तारीखः 03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
  - (घ) मतदान को ताराखः (ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगाः 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार); और
- (इ) 7.00 बजे पूर्वाइन से 6.00 बजे अपराहन तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020-17 Asvina, 1942 (Saka)

#### **NOTIFICATION**

No. 100/MP-LA/9/2020 (Bye-Election): WHEREAS, the seat of Shri Munnalal Goyal (Munna Bhaiya) in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 16-Gwalior East Assembly Constituency has become vacant on 10<sup>th</sup> March, 2020 by reason of his resignation and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sub Section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- (A) Calls upon the said 16-Gwalior East Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12<sup>th</sup> November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints, with respect to the said election-

(a)	Last date for filing nominations:	16th October, 2020 (Friday)
(b)	Date for the scrutiny of nominations:	17th October, 2020 (Saturday)
(c)	Last date for the withdrawal of candidatures!	19th October, 2020 (Monday)
(d)	Date of Poll:	03 <sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)
(e)	Date before which the election shall	
	he completed:	12th November, 2020 (Thursday) and;

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचना

सं: 100/म.प्र.-वि.स./10/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 18-डबरा (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्रीमती इमरती देवी के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराऐं 150, 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :-
- (अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 18 डबरा (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार ) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित करें;
- (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:--

करा लिया जाएगाः

(ক)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारींखः	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(ঘ)	मतदान की तारीखः	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ड.)	वह तारीख जिससे पर्व निर्वाचन सम्पन्न	

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020-17 Asvina, 1942 (Saka)

#### **NOTIFICATION**

No. 100/MP-LA/10/2020 (Bye-Election): WHEREAS, the scat of Shrimati Imarti Devi in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 19-Dabra (SC) Assembly Constituency has become vacant on 10<sup>th</sup> March, 2020 by reason of her resignation and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
  - (A) Calls upon the said 19-Dabra (SC) Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12<sup>th</sup> November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Caste of the States for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
  - (B) Appoints, with respect to the said election-

(a) Last date for filing nominations:	16th October, 2020 (Friday)
---------------------------------------	-----------------------------

- (b) Date for the scrutiny of nominations: 17<sup>th</sup> October, 2020 (Saturday)
- (c) Last date for the withdrawal of candidatures: 19th October, 2020 (Monday)
- (d) Date of Poll: 03<sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)
- (c) Date before which the election shall
  be completed: 12<sup>th</sup> November,2020 (Thursday) and;
- (C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचना

सं: 100/म.प्र.-वि.स./11/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसमा में 21-माण्डेर (अ.जा.) विधानसमा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्रीमती रक्षा संतराम सरौनिया के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को मरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएँ 150, 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :--
- (अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 21—माण्डेर (अ.जा.) विधान सभा निर्वावन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार ) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित करें;
- (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:--
  - (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः 16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
    (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः 17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
    (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः 19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
    (घ) मतदान की तारीखः 03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
    (इ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न
- करा लिया जाएगाः 12 नवन्तर, 2020 (दुरुनर), आर् (इ) 7.00 बजे पूर्वीहन से 6.00 बजे अपराहन तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020-17 Asvina, 1942 (Saka)

#### **NOTIFICATION**

No. 100/MP-LA/11/2020 (Bye-Election): WHEREAS, the seat of Shrimati Raksha Santram Saroniya in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 21-Bhander (SC) Assembly Constituency has become vacant on 10<sup>th</sup> March, 2020 by reason of her resignation and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- (A) Calls upon the said 21-Bhander (SC) Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12<sup>th</sup> November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Caste of the States for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints, with respect to the said election-

(a)	Last date for filing nominations:	16th October, 2020 (Friday)
(b)	Date for the scrutiny of nominations:	17th October, 2020 (Saturday)
(c)	Last date for the withdrawal of candidatures:	19th October, 2020 (Monday)
(d)	Date of Poll:	03 <sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)
(e)	Date before which the election shall	
	be completed:	12th November, 2020 (Thursday) and;

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचना

सं: 100/म.प्र.-वि.स./12/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसमा में 23-करेरा (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री जसमंत जाटव छितरी के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएँ 150, 30 एवं 56 के अनुसरण में आरत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा :--
- (अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 23—करेरा (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार ) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित करें:
- (आ) जक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:--
  - (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः 16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
  - (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः 17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
  - (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः 19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
  - (घ) मतदान की तारीखः 03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार) (ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न
    - करा लिया जाएगाः १२ नवम्बर, २०२० (गुरूवार); और
- (इ) **7.00 बजे पूर्वाइन से 6.00 बजे अपराइन** तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

# Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020-17 Asvina, 1942 (Saka)

### **NOTIFICATION**

No. 100/MP-LA/12/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of Shri Jasmant Jatav Chitree in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 23-Karera (SC) Assembly Constituency has become vacant on 10th March, 2020 by reason of his resignation and

- WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- Calls upon the said 23-Karera (SC) Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12th November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Caste of the States for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- Appoints, with respect to the said election-

Appoints, with respect to the		16th October, 2020 (Friday)
(a)	Last date for filing nominations:	
	Date for the scrutiny of nominations:	17th October, 2020 (Saturday)
(b)	Date for the security	19th October, 2020 (Monday)
(c)	Last date for the withdrawal of candidatures:	03 <sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)
(d)	Date of Poll:	03 November, 2020 (1200)

- Date before which the election shall 12th November, 2020 (Thursday) and; (e) be completed:
- Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if (C) necessary, be taken on the date specified above, for the election.

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचना

सं.: 100 / म.प्र.—वि.स. / 13 / 2020 (उप—निर्वाचन) :— यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 24—पोहरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री सुरेश धाकड़ (राठखेड़ा) के त्यांग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराऐं 30 एवं 56, के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा :--
- (अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 24—पोहरी विधान समा निर्वाधन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार ) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाधित कर दिया जाए;
- (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:--

<b>(</b> )		40 NETTER 2000 (METER)
(ক)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः	16 अक्टूबर, 2020 <b>(शु</b> कवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः	् 17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(ঘ)	मतदान की तारीखः	n3 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)

(इ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगाः 12 न

12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाहन से 6.00 बजे अपराहन तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

#### Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

#### NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/13/2020 (Bye-Election): WHEREAS, the seat of Shri Suresh Dhakad (Rathkheda) in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 24-Pohari Assembly Constituency has become vacant on 10<sup>th</sup> March, 2020 by reason of his resignation and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sub Section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- (A) Calls upon the said 24-Pohari Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12<sup>th</sup> November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints, with respect to the said election-

(a)	Last date for filing nominations:	16 <sup>th</sup> October, 2020 (Friday)
(b)	Date for the scrutiny of nominations:	17 <sup>th</sup> October, 2020 (Saturday)
(c)	Last date for the withdrawal of candidatures:	19th October, 2020 (Monday)
(d)	Date of Poll:	03 <sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)

(e) Date before which the election shall be completed:

12th November, 2020 (Thursday) and;

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचना

सं: 100/म.प्र.-वि.स./14/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसमा में 28-बामोरी विधानसमा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू मैया) के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वायन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराऐं 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :-
- (अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 28—बामोरी विधान समा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार ) से पूर्व राज्य की विधान समा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;
- (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:--

(ক)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की रांवीक्षा की तारीखः	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(घ)	मतदान की तारीखः	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ड.)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न	

(ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगाः 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वीहंन से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

#### Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

#### **NOTIFICATION**

No. 100/MP-LA/14/2020 (Bye-Election): WHEREAS, the seat of Shri Mahendra Singh Sisodia (Sanju Bhaiya) in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 28-Bamori Assembly Constituency has become vacant on 10<sup>th</sup> March, 2020 by reason of his resignation and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sub Section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India aereby-
- (A) Calls upon the said 28-Bamori Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12<sup>th</sup> November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints, with respect to the said election-

(a) Last date for filing nominations: 16<sup>th</sup> October, 2020 (Friday)

(b) Date for the scrutiny of nominations: 17<sup>th</sup> October, 2020 (Saturday)

(c) Last date for the withdrawal of candidatures: 19<sup>th</sup> October, 2020 (Monday)

(d) Date of Poll: 03<sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)

(e) Date before which the election shall be completed: 12<sup>th</sup> November,2020 (Thursday) and;

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचना

सं: 100/म.प्र.-वि.स./15/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसमा में 32-अशोकनगर (अ.जा.) विधानसमा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री जजपाल सिंह "जज्जी" के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएँ 150, 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदहारा :--
- (अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 32-अशोकनगर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार ) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित करें;
- (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:--

(ক)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः	16 अक्टूबर, 2020 (शुकवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वायस लेने की अन्तिम तारीखः	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(ঘ)	मतदान की तारीखः	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ভ.)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न	
91	करा लिया जाएगाः	12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाइन से 6.00 बजे अपराइन तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

> आदेश से, हस्ता./-( **सुमन कुमार दास** ) सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.

c I

#### Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

#### **NOTIFICATION**

No. 100/MP-LA/15/2020 (Bye-Election): WHEREAS, the seat of Shri Jajpal Singh "Jajji" in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 32-Ashok Nagar (SC) Assembly Constituency has become vacant on 10<sup>th</sup> March, 2020 by reason of his resignation and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- (A) Calls upon the said 32-Ashok Nagar (SC) Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12<sup>th</sup> November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Caste of the States for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints, with respect to the said election-

*	(a)	Last date for filing nominations:	16th October, 2020 (Friday)
*1.	(b)	Date for the scrutiny of nominations:	17th October, 2020 (Saturday)
Ň,	(c)	Last date for the withdrawal of candidatures:	19th October, 2020 (Monday)
	(d)	Date of Poll:	03 <sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)
	(e)	Date before which the election shall	
		be completed:	12th November, 2020 (Thursday) and:

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचना

सं: 100/म.प्र.-वि.स./16/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 34-मुंगावली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री बृजेन्द्र सिंह यादव के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराएँ 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :-
- (अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 34—मुंगावली विधान समा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार ) से पूर्व राज्य की विधान समा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;
- (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:--

(ক)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग)	अम्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(ঘ)	मतदान की तारीखः	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(इ.)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न	
	कर्ग लिया जाएगाः	12 नवम्बर, 2020 (गरूवार): और

(इ) **7.00 बजे पूर्वीह्न से 6.00 बजे अपराह्न** तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

#### Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020-17 Asvina, 1942 (Saka)

#### **NOTIFICATION**

No. 100/MP-LA/16/2020 (Bye-Election): WHEREAS, the seat of Shri Brajendra Singh Yadav in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 34-Mungaoli Assembly Constituency has become vacant on 10<sup>th</sup> March, 2020 by reason of his resignation and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sub Section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- (A) Calls upon the said 34-Mungaoli Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12<sup>th</sup> November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints, with respect to the said election-

(a)	Last date for filing nominations:	16th October, 2020 (Friday)
(b)	Date for the scrutiny of nominations:	17th October, 2020 (Saturday)
(c)	Last date for the withdrawal of candidatures:	19th October, 2020 (Monday)
(d)	Date of Poll:	03 <sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)

- (e) Date before which the election shall be completed: 12<sup>th</sup> November,2020 (Thursday) and;
- (C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचना

सं.: 100 / म.प्र.—वि.स. / 17 / 2020 (छप—निर्वाचन) :— यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 37—सुरखी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री गोविन्द सिंह राजपूत के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की घारा 150 की उपघारा (1), धाराएँ 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा
- (अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 37—सुरखी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार ) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;
- (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:--

(क) (ख) (ग)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार) 17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार) 19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार) 03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
<b>(</b> घ)	मतदान की तारीखः	03 नवम्बर, 2020 (मगलवार)
(ভ)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न	

(ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निवाचन सम्पन्न करा लिया जाएगाः 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 8.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020-17 Asvina, 1942 (Saka)

#### **NOTIFICATION**

No. 100/MP-LA/17/2020 (Bye-Election): WHEREAS, the seat of Shri Govind Singh Rajput in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 37-Surkhi Assembly Constituency has become vacant on 10<sup>th</sup> March, 2020 by reason of his resignation and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sub Section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- (A) Calls upon the said 37-Surkhi Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12<sup>th</sup> November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints, with respect to the said election-

(a) Last date for filing nominations: 16th October, 2020 (Friday)

(b) Date for the scrutiny of nominations: 17<sup>th</sup> October, 2020 (Saturday)

(c) Last date for the withdrawal of candidatures: 19th October, 2020 (Monday)

(d) Date of Poll: 03<sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)

(e) Date before which the election shall be completed: 12<sup>th</sup> November,2020 (Thursday) and;

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचना

सं: 100/म.प्र.—वि.स./18/2020 (उप—निर्वाचन) :— यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 53—मलहरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी (मुन्ना भैया) के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 12 जुलाई, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपघारा (1) और धाराऐं 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदहारा :--
- (अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 53—मलहरा विधान समा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार ) से पूर्व राज्य की विधान समा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;
- (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:--

करा लिया जाएगाः

(ক)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः	16 अक्टूबर, 2020 <b>(शुक्</b> वार)
(ख)	नामनिदेशनों की संवीक्षा की तारीखः	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिमः तारीखः	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(ਬ)	मतदान की तारीखः	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ड.)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न	

(इ) 7.00 बजे पूर्वीहन से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए जक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार); और

### Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020-17 Asvina, 1942 (Saka)

## NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/18/2020 (Bye-Election): WHEREAS, the seat of Kunwar Pradyuman Singh Lodhi (Munna Bhaiya) in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 53-Malhara Assembly Constituency has become vacant on 12<sup>th</sup> July, 2020 by reason of his resignation and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sub Section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- (A) Calls upon the said 53-Malhara Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12<sup>th</sup> November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints, with respect to the said election-
  - (a) Last date for filing nominations: 16<sup>th</sup> October, 2020 (Friday)
  - (b) Date for the scrutiny of nominations: 17<sup>th</sup> October, 2020 (Saturday)
  - (c) Last date for the withdrawal of candidatures: 19th October, 2020 (Monday)
  - (d) Date of Poll: 03<sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)
  - (e) Date before which the election shall be completed: 12<sup>th</sup> November,2020 (Thursday) and;
- (C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचन

सं.: 100/म.प्र.-वि.स./19/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसम। में 87-अनूपपुर (अ.ज.जा.) विधानसमा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री विसाहूलाल सिंह के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमं, 1951 (1951 का 43) की घाराएँ 150, 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :--
- (अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 87-अनूपपुर (अ.ज.जा.) विधान समा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित करें;
- (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:--

(क)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः	16 अक्टूबर, 2020 (शुकवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग)	अम्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(ਬ)	मतदान की तारीखः	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(ड.)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न	177

(ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निवाचन सम्पन्न करा लिया जाएगाः 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार); और

(इ) **7.00 बजे पूर्वीहन से 8.00 बजे अपराह**न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

### Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020-17 Asvina, 1942 (Saka)

### **NOTIFICATION**

No. 100/MP-LA/19/2020 (Bye-Election): WHEREAS, the seat of Shri Bisahulal Singh in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 87-Anuppur (ST) Assembly Constituency has become vacant on 10th March, 2020 by reason of his resignation and

- WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused; 2.
- NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 150 30 and 56 of the Representation of the 3. People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- (A) Calls upon the said 87-Anuppur (ST) Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12th November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Tribes of the States for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- Appoints, with respect to the said election-

(a)	Last date for filing nominations:	16 <sup>th</sup> October, 2020 (Friday)
(b)	Date for the scrutiny of nominations:	17th October, 2020 (Saturday)
(c)	Last date for the withdrawal of candidatures:	19 <sup>th</sup> October, 2020 (Monday)
(d)	Date of Poll:	03 <sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)
(e)	Date before which the election shall	
	be completed:	12th November, 2020 (Thursday) and;

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचना

सं: 100/म.प्र.-वि.स./20/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 142-सांची (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित डॉ. प्रमुराम चौधरी के त्याग पत्र देने के परिणागस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराऐं 150, 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा :--
- (अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 142—सांची (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार ) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित करें;
- (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:--

(ক)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः 🍦	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्वार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः 🌅	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग)	अम्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(ঘ)	मतदान की तारीखः	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(উ.)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न	
	करा लिया जाएगाः	12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाहन से 8.00 बजे अपराहन तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020-17 Asvina, 1942 (Saka)

# **NOTIFICATION**

No. 100/MP-LA/20/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of Dr. Prabhuram Choudhary in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 142-Sanchi (SC) Assembly Constituency has become vacant on 10th March, 2020 by reason of his resignation and

- WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused; 2.
- NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 150, 30 and 56 of the Representation of the 3. People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- Calls upon the said 142-Sanchi (SC) Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12th November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Caste of the States for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- Appoints, with respect to the said election-**(B)**

Date of Poll:

(a)	Last date for filing nominations:	16th October, 2020 (Friday)
(b)	Date for the scrutiny of nominations:	17th October, 2020 (Saturday)
(c)	Last date for the withdrawal of candidatures:	19th October, 2020 (Monday)
(d)	Date of Poll:	03 <sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)

(d) Date before which the election shall (e) be completed:

12th November, 2020 (Thursday) and;

Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if (C) necessary, be taken on the date specified above, for the election.

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचना

सं: 100/म.प्र.-वि.स./21/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसमा में 161-ब्यावरा विधानसमा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री गोर्क्यन दांगी का स्थान, उनके निधन के परिणामस्वरूप उनका स्थान दिनांक 15 सितम्बर, 2020 को रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपघारा (1) और धाराएँ 30 एवं 56 के अनुसरण में मारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :--
  - (अ) ं मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 161—ब्यावरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार ) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;
  - (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:--

(ক)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः	19 अक्टूबर, 2020 (सोमदार)
<b>(घ)</b>	मतदान की तारीखः	03 नवम्बर, <b>2</b> 020 (मंगलवार)
(ভ.)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न	
. ,	करा लिया जाएगाः	12 नवम्बर, 20 <b>20 (</b> गुरूवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाइन से 6.00 बजे अपराइन तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

## **NOTIFICATION**

No. 100/MP-LA/21/2020 (Bye-Election): WHEREAS, the seat of Shri Govardhan Dangi in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 161-Biaora Assembly Constituency has become vacant on 15th September, 2020 by reason of his death; and

- WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused; 2.
- NOW, THEREFORE, in pursuance of Sub Section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of 3. the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- (A) Calls upon the said 161-Biaora Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12th November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- **(B)** Appoints, with respect to the said election-

(a)	Last date for filing nominations:	16 <sup>th</sup> October, 2020 (Friday)
(b)	Date for the scrutiny of nominations:	17 <sup>th</sup> October, 2020 (Saturday)
(c)	Last date for the withdrawal of candidatures:	19th October, 2020 (Monday)
(d)	Date of Poll:	03 <sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)
(e)	Date before which the election shall	
	be completed:	12th November, 2020 (Thursday) and;

Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if **(C)** necessary, be taken on the date specified above, for the election.

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिस्चना

सं.: 100 / म.प्र.-वि.स. / 22 / 2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेशं राज्य की विधानसभा में 168-आगर (अ.जा.) विधानसमा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री मनोहर ऊंटवाल का स्थान, उनके निधन के परिणामस्वरूप उनका स्थान दिनांक 30 जनवरी, 2020 को रिक्त हो गया है; और

- यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है; 2.
- अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएँ 150, 30 एवं 56 के अनुसरण भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा :--
- मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 168 आगर (अ.जा.) विधान समा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उ अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवा से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उन्हें राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूर्त जाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित करें;
- उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्घारित करता है:-
  - नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः (क)
  - नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः (ख)
  - अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः (ग)
  - (日) मतदान की तारीखः
  - वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न (ভ.) करा लिया जाएगाः

16 अक्टूबर, 2020 (शुट्वार)

17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)

19 अक्टूबर, 2020 (सोभवार)

03 नंबम्बर, 2020 (मंगलवार)

12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार); और

7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौ यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतंदान होगा।

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020-17 Asvina, 1942 (Saka)

# NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/22/2020 (Bye-Election): WHEREAS, the seat of Shri Manohar Untwal in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 166-Agar (SC) Assembly Constituency has become vacant on 30<sup>th</sup> January, 2020 by reason of his death; and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- (A) Calls upon the said 166-Agar (SC) Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12<sup>th</sup> November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Castes of the State for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints, with respect to the said election-

(a)	Last date for filing nominations:	16th October, 2020 (Friday)
(b)	Date for the scrutiny of nominations:	17th October, 2020 (Saturday)
(-)	Last date for the withdrawal of candidatures:	19th October, 2020 (Monday)
(c)		03 <sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)
(d)	Date of Poll:	, ,

(e) Date before which the election shall be completed: 12<sup>th</sup> November,2020 (Thursday) and;

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचना

सं: 100 / म.प्र.—वि.स. / 23 / 2020 (उप—निर्वाचन) :— यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 172—हाटिपपल्या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराएँ 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :--
- (अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 172—हाटिपेपल्या विधान समा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार ) से पूर्व राज्य की विधान समा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए,
- (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:--

(क) (ख)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार) 17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
(ঘ)	मतदान की तारीखः	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
(3)	यह नारीक निक्को गर्न निर्वाचन सम्पन्त	

(ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगाः 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वीह्न से 8.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020-17 Asvina, 1942 (Saka)

## **NOTIFICATION**

No. 100/MP-LA/23/2020 (Bye-Election): WHEREAS, the seat of Shri Manoj Narayan Singh Choudhary in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 172-Hatpipliya Assembly Constituency has become vacant on 10<sup>th</sup> March, 2020 by reason of his resignation and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sub Section (1) of Section 150, Sections 30 and 36 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- (A) Calls upon the said 172-Hatpipliya Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12<sup>th</sup> November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints, with respect to the said election-

(a)	Last date for filing nominations:	16th October, 2020 (Friday)
(b)	Date for the scrutiny of nominations:	17th October, 2020 (Saturday)
(c)	Last date for the withdrawal of candidatures:	19th October, 2020 (Monday)
(d)	Date of Poll:	03 <sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)
(e)	Date before which the election shall	*
	be completed:	12th November, 2020 (Thursday) and;

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचना

सं.: 100/म.प्र.—वि.स./24/2020 (उप-निर्वाचन) :— यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसमा में 175-मांघाता विधानसमा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री नारायण पटेल के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 23 जुलाई, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराऐं 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :--
- (अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 175 मधाता विधान समा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार ) से पूर्व राज्य की विधान समा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;
- (आ) जक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:—

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः

16 अक्टूबर, 2020 (शुकवार)

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा वी तारीखः

17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)

(ग) अम्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः

ा १९ अक्टूबर, २०२० (सोमवार)

(घ) मतदान की तारीखः

03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)

(ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगाः

12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

### Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020—17 Asvina, 1942 (Saka)

## **NOTIFICATION**

No. 100/MP-LA/24/2020 (Bye-Election): WHEREAS, the seat of Shri Narayan Patel in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 175-Mandhata Assembly Constituency has become vacant on 23<sup>rd</sup> July, 2020 by reason of his resignation and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sub Section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Acl, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- (A) Calls upon the said 175-Mandhata Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12<sup>th</sup> November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints, with respect to the said election-

(a)	Last date for filing nominations:	16th October, 2020 (Friday)
(b)	Date for the scrutiny of nominations:	17th October, 2020 (Saturday)
(c)	Last date for the withdrawal of candidatures:	19th October, 2020 (Monday)
(d)	Date of Poll:	03 <sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)

- (e) Date before which the election shall be completed: 12<sup>th</sup> November,2020 (Thursday) and;
- (C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./(SUMAN KUMAR DAS)
Secretary,
Election Commission of India.

ď.

निर्वाचन सदन, अशोंक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचना

सं: 100/म.प्र.-वि.स./25/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसमा में 179-नेपानगर (अ.ज.जा.) विधानसमा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाधित श्रीमती सुमित्रा देवी कास्डेकर के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 17 जुलाई, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2. यदः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएँ 150, 30 एवं 58 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा :--
- (अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 179-नेपानगर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2820 (गुरूवार ) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित करें;
- (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-
  - (क) नानिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः 16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
    (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः 17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
    (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः 19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
  - (ग) अभ्यशिताएं वापस लेने की अन्तिम तारखिः 19 अक्टूबर, 2020 (सामवार) (घ) मतदान की तारीखः 03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
  - (ह.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगाः 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार); और
- (इ) 7.00 बजे पूर्वाइन से 6.00 बजे अपराइन तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से, हस्ता./-( सुमन कुमार दास) सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.

19 3

### Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020-17 Asvina, 1942 (Saka)

## **NOTIFICATION**

No. 100/MP-LA/25/2020 (Bye-Election) :- WHEREAS, the seat of Shrimati Sumitra Devi Kasdekar in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 179-Nepanagar (ST) Assembly Constituency has become vacant on 17th July, 2020 by reason of her resignation and

- WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused; 2.
- NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 150, 30 and 56 of the Representation of the 3. People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- Calls upon the said 179-Nepanagar (ST) Assembly Constituency in the State of Madhya (A) Pradesh, to elect, before the 12th November, 2020 (Thursday) and in accordance with the previsions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Tribes of the States for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- **(B)** Appoints, with respect to the said election-

(a),	Last date	for filing	nominations:

16th October, 2020 (Friday)

(b) Date for the scrutiny of nominations: 17th October, 2020 (Saturday)

(c) Last date for the withdrawal of candidatures: 19th October, 2020 (Monday)

(d) Date of Poll: 03<sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)

(e) Date before which the election shall

be completed:

12th November, 2020 (Thursday) and;

Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if (C) necessary, be taken on the date specified above, for the election.

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचना

सं: 100 / म.प्र.—वि.स. / 26 / 2020 (उप—निर्वाचन) :— यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 202—बदनावर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री राजवर्धनसिंह—प्रेमसिंह दत्तीगांव के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की घारा 150 की उपधारा (1) और धाराएँ 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :-
- (अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्तः 202—बदनावर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार ) से पूर्व राज्य की विधान समा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्विचत कर दिया जाए;
- (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:--
  - (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः

16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः

17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः

19 अक्टूबर. 2020 (सोमवार)

(घ) मतदान की तारीखः

03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)

(ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगाः

12 नवम्बर, 2020 (गुरुवार); और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

## Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020-17 Asvina, 1942 (Saka)

### **NOTIFICATION**

No. 100/MP-LA/26/2020 (Bye-Election):- WHEREAS, the seat of Shri Rajvardhan Singh-Prem Singh Dattigaw in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 202-Badnawar Assembly Constituency has become vacant on 10<sup>th</sup> March, 2020 by reason of his resignation and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sub Section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- (A) Calls upon the said 202-Badnawar Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12<sup>th</sup> November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints, with respect to the said election-

(a) Last date for filing nominations: 16<sup>th</sup> October, 2020 (Friday)
 (b) Date for the scrutiny of nominations: 17<sup>th</sup> October, 2020 (Saturday)
 (c) Last date for the withdrawal of candidatures: 19<sup>th</sup> October, 2020 (Monday)
 (d) Date of Poll: 03<sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)

(e) Date before which the election shall be completed: 12<sup>th</sup> November,2020 (Thursday) and;

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचना

सं: 100/म.प्र.-वि.स./27/2020 (उप-निर्वाचन) :- यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में 211-सांवेर (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री तुलसीराम सिलावट के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

- यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप–निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएँ 150, 30 एवं 56 के अनुसरण में मारत निर्वाचन आयोग एतदृद्वारा :--
- (अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 211—सांवेर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार ) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उक्त राज्य से संबंध रखने वाली अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित करें;
- (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्घारित करता है:--

	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार) 17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)	1 5
	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः मतदान की तारीखः	19 अन्दूबर, 2020 (सोमवार) 03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)	•
(র.)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगाः	12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार); और	5

(इ) 7.00 बजे पूर्वाइन से 6.00 बजे अपराइन तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020-17 Asvina, 1942 (Saka)

### **NOTIFICATION**

No. 100/MP-LA/27/2020 (Bye-Election): WHEREAS, the seat of Shri Tulsiram Silawat in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 211-Sanwer (SC) Assembly Constituency has become vacant on 10<sup>th</sup> March, 2020 by reason of his resignation and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- (A) Calls upon the said 211-Sanwer (SC) Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12<sup>th</sup> November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Caste of the States for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints, with respect to the said election-

(a)	Last date for filing nominations:	16 <sup>th</sup> October, 2020 (Friday)
(b)	Date for the scrutiny of nominations:	17th October, 2020 (Saturday)
<b>(c)</b>	Last date for the withdrawal of candidatures:	19th October, 2020 (Monday)
(d)	Date of Poll:	03 <sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)

- (e) Date before which the election shall be completed: 12<sup>th</sup> November,2020 (Thursday) and;
- (C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020—17 आश्विन, 1942 (शक)

# अधिसूचना

सं: 100/म.प.—वि.स./28/2020 (उप—निर्वाचन) :— यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधानसमा में 228—सुवासरा विधानसमा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री डंग हरदीपसिंह के त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम्, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराएँ 30 एवं 56 के अनुसरिण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :-
- (अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 228—सुवासरा विधान समा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;
- (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:--

करा लिया जाएगाः

(क)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः	16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः	17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार)
(प)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः	19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
( <sup>1</sup> / (घ)	मतदान की तारीखः	03 नवम्बर, 2020 (मंगलवार)
` /	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न	00 14 44 2020 (111.114)

(इ) **7.00 बजे पूर्वाहन से 6.00 बजे अपराहन** तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

12 नवम्बर, 2020 (गुरूवार); और

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 09th October, 2020-17 Asvina, 1942 (Saka)

### NOTIFICATION

No. 100/MP-LA/28/2020 (Bye-Election): WHEREAS, the seat of Shri Dang Hardeep Singh in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 226-Suwasra Assembly Constituency has become vacant on 10<sup>th</sup> March, 2020 by reason of his resignation and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. NOW, THEREFORE, in pursuance of Sub Section (1) of Section 150, Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
- (A) Calls upon the said 226-Suwasra Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 12<sup>th</sup> November, 2020 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints, with respect to the said election-

(a) Last date for filing nominations: 16<sup>th</sup> October, 2020 (Friday)

(b) Date for the scrutiny of nominations: 17th October, 2020 (Saturday)

(c) Last date for the withdrawal of candidatures: 19th October, 2020 (Monday)

(d) Date of Poll: 03<sup>rd</sup> November, 2020 (Tuesday)

(e) Date before which the election shall be completed: 12<sup>th</sup> November,2020 (Thursday) and;

(C) Fixes the hours from 7.00 A.M. to 6.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.